प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
खण्ड कार्यालय,
उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण),
गोण्डा।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण),
लखनऊ।

पत्रांकः 2148 / M-23 / 28 दिनांकः 07 /07/2026

विषयः– **डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर प्रसारित खबर ''जबाब मांगता है गोण्डा'' पर आख्या प्रेषण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 06.07.2026 को डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर प्रसारित खबर ''जबाब मांगता है गोण्डा'' शीर्षक के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है जनपद में दिनांक 02.07.2026 को विकास खण्ड बेलसर के ग्राम पंचायत हरखापुर में सरिया लदे ट्रक पलटने से तीन लोगों की दुःखद मृत्यु हो गयी। उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड बेलसर की हरखापुर ग्रामीण पाइप पेयजल योजना वर्ष 2020–21 में स्वीकृत हुई थी। स्वीकृतोंपरान्त फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो द्वारा योजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर प्रस्तावित वितरण प्रणाली का कार्य वर्ष 2022–23 में पूर्ण करा लिया गया था एवं वितरण प्रणाली बिछाने के उपरान्त ट्रेन्च में मिट्टी भराव का कार्य तत्समय करा दिया गया था। विगत लगभग 02 वर्षों से योजना पर पाइप लाइन सम्बन्धित कोई कार्य नहीं कराया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिस रोड पर दुर्घटना हुयी उसका निरीक्षण दिनांक 04.07.2026 को किया गया। अवगत कराना है कि यह ग्रामीण सड़क लगभग 2.5 मीटर चौड़ी है, जिसके किनारे–किनारे पर सड़क से लगभग 01 मीटर की गहराई पर किसानों के खेत है। उक्त सड़क का उपयोग प्रायः छोटे वाहनों के आवागमन के लिये किया जाता है तथा इस सड़क पर लोडेड भारी वाहन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक ड्राइवर नशे में था। 10 टायर भारी वाहन ट्रक (मानक से अधिक, भार लगभग 40 टन) में सरिया लोडेड थी तथा सरिया के ऊपर आदमी बैठे थे। ट्रक ड्राइवर द्वारा वाहन की तीव्र गति को नियन्त्रित न कर पाने के कारण ट्रक अनियन्त्रित होकर निचले खेत में पलट गयी थी, जिससे यह दुःखद दुर्घटना घटित हुई थी। उल्लेनीय है कि वर्षा के कारण सड़क के सोल्डर पर अत्यधिक नमी थी तथा वाहनों के टायरों के फिसलन की सम्भावना थी। पुलिस विभाग द्वारा दायर एफ0आई0आर0 में दुर्घटना का कारण वाहन की तेज गति व लापरवाही से वाहन चलाने का जिक्र किया गया है। इस दुर्घटना में जल निगम(ग्रामीण) की कोई कमी परिलक्षित नहीं हो रही है।

सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(महेन्द्र सिंह)
अधिशासी अभियन्ता